राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2304/2006/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, अलवर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शकुन एग्रो प्रोडक्ट्स, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/06/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 1255/उपा–भरत/99–00/RST में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.2.2006 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–'बी', अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलोच्य अवधि वर्ष 1993–94 के लिये अधिनियम की धारा 37 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.9.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलोच्य अवधि वर्ष 1993–94 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.9.95 को सम्पूरित किया गया, जिसमें गेहूं व सरसों बीज पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। तत्पश्चात महालेखाकार जांचदल ने गेहूं व सरसों बीज पर 10 प्रतिशत की दर से करदेयता का आक्षेप किया गया। उक्त आक्षेप की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.9.99 को पारित करते हुए 6 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 29,641/– व ब्याज रूपये 42,090/– आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2006 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि में गेहूं व सरसों बीज पर 10 प्रतिशत की दर से करदेयता होने तथा भूलवश 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित हो जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार 6 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित अवलोकन किये बिना कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि गेहूं व सरसों तथा इनके बीज में कोई अन्तर नहीं है तथा अधिनियम के तहत जारी अनुसूची में भी गेहूं व सरसों पर कर दर निर्धारित की गयी है, इनके बीज पर पृथक से कोई कर दर निर्धारित नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश में उचित प्रकार से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया था, किन्तु महालेखाकार जांचदल के आक्षेप के अनुसरण में 6 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी थी, जबकि अपीलीय अधिकारी ने उक्त कर व ब्याज अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के **अपील संख्या 1304/2002/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, जोधपुर बनाम मैसर्स जेठमल एण्ड संस, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2003** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 1993–94 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.9.95 को पारित किया गया था। इसके पश्चात ऑडिट आक्षेप के आधार पर अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधित आदेश दिनांक 22.9.99 पारित करते हुए गेहूं व सरसों तथा इनके बीज को पृथक–पृथक वस्तु मानते हुए 6 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के उद्धरित निर्णय दिनांक 13.2.2003 में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया गया है कि गेहूं व

लगातार.....3

गेहूं के बीज में कोई अन्तर नहीं है एवं ना ही अनुसूची में इनकी पृथक—पृथक कर दर निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में गेहूं व सरसों पर प्रचलित दर अनुसार ही गेहूं व सरसों के बीज पर करारोपण किया जा सकता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑडिट आक्षेप के आधार पर संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए 6 प्रतिशत की दर से आरोपित अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 25.02.2006 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 12.6.20

(मनोहर पुरी)
सदस्य